कुलसचिव
Registrar

4861

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/1932/2011, दिनांक : 30 अक्टूबर, 2011

तत्काल/अत्यावश्यक

सेवा में,

प्रबंधक,
समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध–महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषयः– अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उ0 प्र0 शासन के आदेश सं0 2443/सत्तर–2–2000–2 (85)/97 दिनांक 9 मई, 2000 के द्वारा स्ववित्तपोषी महाविद्यालयों के लिए मानकों का निर्धारण किया गया है। निर्धारित मानकों की अन्य व्यवस्थाओं के साथ–साथ स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था भी प्राविधानित है कि, शिक्षकों के वेतन के लिए महाविद्यालय के छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का 75–80 प्रतिशत व्यय किया जायेगा। शिक्षकों के अनुबन्ध पत्र में वेतन तथा अवकाश का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुबन्ध की एक प्रति विश्वविद्यालय एक महाविद्यालय तथा एक शिक्षक को दी जायेगी तथा समस्त शिक्षकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) अनवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

शासन के संज्ञान में आया है कि महाविद्यालयों द्वारा शासनादेश 9 मई, 2000 का अनुपालन नहीं हो रहा है। अतः समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश के अनुपालन के साथ–साथ समस्त शिक्षकों की संविदा प्रति विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते हुए अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उक्त मानकों के अनुपालन के अभाव में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार विधिक एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।

भवदीय,

(एस0 एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी –सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय के साथ कि महाविद्यालयों का परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते समय उक्त का अनुपालन कराया जाय।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय के साथ कि पत्र को सूचनार्थ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।

(एस0 एल0 मौर्य)
कुलसचिव